उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976

(उ.प्र. अधिनियम सं. 17, 1976 यथा संशोधित उ.प्र. अधिनियम सं. 1, 1977 उ.प्र. अधिनियम सं. 13 सन् 1980, उ.प्र. अधिनियम सं. 2 सन् 1982, उ.प्र. अधिनियम सं. 13, सन् 1985, उ.प्र. अधिनियम सं. 6, सन् 1987 एवं उ.प्र. अधिनियम सं. 7, सन् 1992) (जैसा कि उ.प्र. सरकारों आसधरण गजट दिनांक 1 मई, 1976 में प्रकाशित)

राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बद्ध विषयों के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन के निमित्त (अधिकरण का गठन)³ व्यवस्था करने के लिए यह अधिनियम भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम मनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारम्भ और लागू होना

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अधिनियम)³ 1976 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह २४, नवम्बर, १९७५ में प्रवृत्त समझा जायेगा।
- यह धारा और धारा 2 और 6 सभी लोक सेवकों के सम्बन्ध में लागू न होंगे, अर्थत्–
 (क) न्यायिक सेवा के सदस्य,
 - ं(ख) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक,
 - (ग) राज्य विधान मंडल के किसी सदन के सचिवालय कर्मचारी वर्ग के सदस्य,
 - (घ) राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी वर्ग के सदस्य,
 - (इ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् 1947 ई.) में परिभाषित कर्मकार (वर्कमैन)

र्ि(च) लोक आयुक्त के कर्मचारी वर्ग के सदस्य े}

(छ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी

परिभाषाएँ

- 2– इस अधिनियम में–
 - (क) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य २४ नवम्बर, १९७५ से है,

[°]{(क−1) 'न्यायपीठ' का तात्पर्य न्यायाधिकरण की न्यायपीठ से है,

र्(क−2) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से है,

[®](क−2क) 'मुख्य न्यायाधीश' का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है

(क-3) 'जिला न्यायाधीश' का तात्पर्य बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1987 के अर्थ में जिला न्यायाधीश से है,

1

^{1.} अधिसूचना सं.: 1738/-बी-1/156/76, दिनांकः 1 मई, 1976 के अन्तर्गत प्रकाशित।

^{2.} अधिसूचना सं.: 808-का-3-93-24/21/87 दिनांक 31-3-1993 के अन्तर्गत प्रकाशित।

^{3.} यू.पी. एक्ट *७* १९९२ द्वारा प्रतिस्थापित।

४. यू.पी. एक्ट सं.ः १ १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

५. यू.पी. एक्ट सं.: १३ १९८५ द्वारा जोड़ा गया।

^{6.} यू.पी. एक्ट सं.ः ७ १९९२ द्वारा जोड़ा गया।

^{7.} यू.पी. एक्ट सं.: 5 2000 द्वारा जोड़ा गया।

८. यू.पी. एक्ट सं.: 5 2000 द्वारा जोड़ा गया।

- [°](क-3क)विधिक प्रतिनिधि का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता हो और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसमें पेंशनिक, सेवानिवृत्तिक, सेवांत या अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार निहित हो।
- (क-4) 'सदस्य' का तात्पर्य अधिकरण के न्यायिक या प्रशासकीय सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है,
- ®(क) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी में राज्य द्वारा नियुक्त सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।}
- "{(ख) 'लोक सेवक' का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है, जो–
 - (एक) राज्य सरकार का, या
 - (दो) स्थानीय प्राधिकारी जो छावनी बोर्ड न हो
 - ¹²{(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण में कोई अन्य निगम जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1976 की धारा-3 में यथा परिभाषित ऐसी कम्पनी भी है जिसमे 50 प्रतिशत अन्यून समादत्त अंशपूंजी राज्य सरकार धारण करती है।

किन्त् इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं:-

- (1) किसी अन्य कम्पनी का वेतन भोगी या उसकी सेवारत कोई व्यक्ति, या
- अखिल भारतीय सेवाओं में या अनय केन्द्रीय सेवाबों का कोई सदस्य,}

¹³(ख–ख) सेवा संबंधी मामले का तात्पर्य किसी लोक सेवक की सेवा की शर्तों से संबंधित किसी मामले से है।

- ¹⁴{(ग) 'अधिकरण' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन गठित अधिकरण से है,,
- ¹⁵(घ) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य अधिकरण के उपाध्यक्ष (न्यायिक) या उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) से है,}

अधिकरण का गठन

- ¹⁴((1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक अधिकरण स्थापित करेगी जिसे राज्य लोक सेवा अधिकरण कहा जायेगा।
 - (2) अधिकरण के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और न्यायिक तथा प्रशासकीय श्रेणी के कम से कम पाँच-पाँच अन्य सदस्य उतनी संख्या में होंगे जितनी राज्य सरकार अवधारित करें।
 - (3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि– (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या

^{9.} यू.पी. एक्ट सं.: 12 सन् २००३ दिनांक १७-१२-२००३ द्वारा जोड़ा गया।

१०. यू.पी. एक्ट सं.: १ १९७७ द्वारा जोड़ा गया। ११. आइबिड द्वारा प्रतिस्थापित।

^{12.} यू.पी. एक्ट सं.: 13 1980 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1.6.1977 से प्रभावी)

^{13.} यू.पी. एक्ट सं.: 5 सन् २००० द्वारा जोड़ा गया। 14. यू.पी. एक्ट सं.: 7 1992 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 31.3.1993 से प्रभावी)

^{15.} यू.पी. एक्ट सं.: 5 सन् 2000 द्वारा जोड़ा गया।

- (ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक उपाध्यक्ष का पद धारण न किया हो, या
- (ग) वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य न रहा हो जिसने भारत सरकार के सचिव या उसके समकक्ष केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण किया हो और जिसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो।
- 16(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि—
 - (क) उसने सुपर टाईम स्केल के जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई
 अन्य पद धारण न किया हो, या
 - (ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो,
 - ¹⁷(4-क) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि-
 - (क) उसने प्रशासकीय सदस्य का पद धारण न किया हो: या
 - (ख) उसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष पद धारण न किया हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय करने का पर्याप्त अनुभव हो।
- (5) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो।
- ¹⁸(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या रूपये 18400-22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी किसी प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा परंतु कि उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो।
- (7) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जायेंगे:

परन्तु कोई व्यक्ति यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण नहीं करेगा जब तक कि उसने यथास्थिति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से, या भारतीय प्रशासनिक सेवा से या उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा से या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा से भिन्न किसी अन्य सेवा से, जिसमें वह सेवारत था, त्यागपत्र न दे दिया हो या सेवा निवृत्त न हो गया हो।

(8) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह पांच वर्ष की एक अविध के लिए पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होगा, परन्तु-

प्रतिबंध यह है कि कोई अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने–

^{16.} यू.पी. एक्ट सं.: ४ सन् २००७ दिनांक २१-२-२००७ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{17.} यू.पी. एक्ट सं.: 1 सन् २०१५ दिनांक १३-३-२०१५ द्वारा संशोधित।

^{18.} यू.पी. एक्ट सं.: ४ सन् २००७ दिनांक २१-२-२००७ द्वारा प्रतिस्थापित।

- ¹⁹(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष और
- ²⁰(ख) उपाध्यक्ष एवं किसी अन्य सदस्य के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।
- ²¹(8क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा यथासंशोधित उपघारा (8) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का पद धारण करने वालों पर भी प्रवृत्त होंगे।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (8) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष, का पदभार धारण करने वाले पर भी प्रवृत्त होंगे।
- (9) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित खहस्ताक्षरित लिखित स्वना द्वारा अपना पद त्याग सकता है:

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जब तक उन्हें राज्यपाल द्वारा पहले ही पद छोड़ने की अनुज्ञा नहीं दी जाती, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति के पद संभालने तक या अपनी पदाविध की समाप्ति तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

- (10) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, विहित रीति से की गई जांच के पश्चात् जिसमें यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्ति-युक्ति अवसर दिया गया हो, साबित दुर्ब्यहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा किये गये किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाया नहीं जायेगा।
- (11) पद पर न रह जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार के या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के, या राज्य सरकार के स्वामित्वहीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन अग्ररत नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा और कोई सदस्य उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

- (12) पद पर न रह जाने पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से न उपस्थित होगा, न कार्य करेगा और न अभिवचन करेगा।
- (13) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।
- (14) जहां अध्यक्ष अनुपस्थित या अस्वसथता या अन्य किसी कारण से अनपे कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या जहां अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाये वहां उपाध्यक्ष, और जहां उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो वहां ऐसा अन्य सदस्य जैसा राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, अध्यक्ष

^{19.} यूपी. एक्ट सं. 15 2013 दिनांक 26-9-2013 द्वारा संशोधित। 20. यूपी. एक्ट सं. 4 2007 दिनांक 21-2-2007 द्वारा संशोधित। 21. यूपी. एक्ट सं. 4 2007 दिनांक 21-2-2007 द्वारा संशोधित। 21क. यूपी. एक्ट सं. 15 2013 दिनांक 26-9-2013 द्वारा जोड़ा गया।

के अपने कर्तव्यों के पुनः संभालने, या यथास्थिति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष के अपने पद का भार संभालने तक, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

अधिकरण के कर्मचारी

3.

- (1) राज्य सरकार अधिकरण की, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और अधिकरण के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसा वह उचित समझे।
- (2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
- (3) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और उनकी सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाये।

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट

- 4. यदि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है या रहा है, यह दावा करता है कि लोक सेवक के रूप में सेवायोजन से सम्बन्धित किसी मामले में उसके सेवायोजक के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी ने उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया है जो किसी करार के. या
 - (क) किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के या संविधान के अनुच्छेद 309 या अनुच्छेद 313 के अधीन प्रभावी किसी नियम या विधि के,
 - (ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या संविधिक निगम के सेवक की स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 16 के या ऐसे प्राधिकारी या निगम को गठित करने वाले विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन प्रभावी किसी नियम या विनियम के,

अनुरूप नहीं है, तो उस दावे का निर्देश अधिकरण को करेगा, और उस पर अधिकरण का विनिश्वय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा,

²²[परन्तु किसी करार के निबन्धों के अधीन रहते हुए कोई निर्देश किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावे के बारे में नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि अधिकरण सामान्यतया कोई निर्देश ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि दावेदार अपने ऊपर लागू नियमों के अधीन सभी विभागीय उपचारों का आश्रय न ले चुका हो।

22. यू.पी. एक्ट सं.2 / 1982 द्वारा जोड़ा गया। दिनांक 16.7.81 से प्रभावी।

²³{(परन्तु यह भी जहां दावेदार द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील या दिये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकार या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति, द्वारा अपील प्रस्तुत करने या अभ्यावेदन देने के दिनांक से ²⁴छः माह के भीतर कोई अंतिम आदेश न दिया गया हो, वहां दावेदार लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि सूचना की तामील के एक मास के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि दावेदार अपने सभी विभागीय उपचारों का आश्रय ले चुका है।)

स्पष्टीकरण— इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ दावेदार (किसी सरकारी सेवक की स्थिति में) यह अपेक्षा करना आवश्यक न होगा कि वह अधिकरण को अपना दावा निर्देशित करने के पूर्व राज्यपाल को मेमोरियल देने के उपचार कर आश्रय भी ले।

अधिकरण द्वारा स्नवाई का निर्देश

²⁵4-क (1)

अध्यक्ष दावों के ऐसे निर्देशों और अन्य विषयों के, जैसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकरण द्वारा निर्देश किये जायें, निस्तारण के लिए समय–समय पर न्यायपीठों की सुनवाई का गठन सकता है जिसमें एक सदस्य या दो सदस्य होंगें

- (2) अध्यक्ष के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी एक न्यायपीठ के सदस्य के रूप में स्वयं का नाम निर्दिष्ट करें।
- (3) दो सदस्यों से गठित न्यायपीठमें एक न्यायिक सदस्य और प्रशासकीय सदस्य होगा।

²⁶स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रह चुका है या कोई उपाध्यक्ष जो जिला न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायिक सदस्य समझा जायेगा और कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या रूपये 18400-22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी रहा हो प्रशासकीय सदस्य समझा जायेगा।

- (4) अधिकरण की अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग ऐसे किसी न्यायपीठ द्वारा ऐसी अधिकारिता, शक्तियाँ प्राधिकार का प्रयोग करके किये गये किसी कार्य को अधिकरण द्वारा कृत कार्य समझा जायेगा।
- (5) (क) दावे के किसी निर्देश की, जिसमें सेवा से पदच्युत या हटाये जाने या पंक्तिच्युत किये जाने के किसी आदेश की (जो अस्थायी सेवा की समाप्ति के लिए आदेश न हो।) विधि मान्यता अर्न्तसत हो, सुनवाई और उसका अंतिम विनिश्चय दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ

२३. यू.पी. एक्ट सं. ७ १९९२ द्वारा जोड़ा गया। दिनांकः ३१.३.१९९३ से प्रभावी।

२४. यू.पी. एक्ट सं. ५ २००० द्वारा संशोधित।

^{25.} यू.पी. एक्ट सं. ७ १९९२ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक ३१.३.१९९३ से प्रभावी।

^{26.} यू.पी. एक्ट सं. ४ २००७ दिनांक २१-२-२००७ द्वारा संशोधित।

द्वारा किया जायेगा।

परन्तु एक सदस्य द्वारा गुणावगुण के आधार पर किसी मामले में अंतिम रूप में से निस्तारण के आदेश से मिन्न कोई आदेश पारित किया जा सकता है, साक्ष्य लिया जा सकता है और कार्यवाही को (मामले के अंतिम निस्तारण के लिए मौखिक तर्क की स्नवाई को छोड़कर) संचालित किया जा सकता है।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट दावे के निर्देश से भिन्न दावे के निर्देश की सुनवाई और उसका अंतिम रूप से विनिश्चय एक सदस्य से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जा सकता है।

- (ग) अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, किसी मामले का अन्तरण एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को कर सकता है।
- (6) जहाँ दो सदस्यों से गठित किसी न्यायपीठ के सदस्य किसी मामले में सहमत न हों तो मामला अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य सदस्य को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे उन्य सदस्य का विनिश्चय ॲिंतम और प्रभावी होगा।
- (7) इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन के लिए अधिकरण, उसकी न्यायपीठ और सदस्यों की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, होगी।

अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया

5-

(1)

(क) अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता संख्या 5, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1, 1872 में दिये गये साक्ष्य नियमों से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होगा, और इस धारा के उपबन्धों और धारा 7 के अधीन बनाये गये किन्हीं वियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिकरण को अपनी प्रक्रिया (जिसमें अपनी बैठक का स्थान और समय नियत करना और यह विनिश्चित करना भी सिम्मिलत है कि बैठक सार्वजनिक या असार्वजनिक तौर पर की जाए) विनियमित करने की शक्ति होगी।

"(परन्तु जहाँ किसी निर्देश की विषय वस्तु के सम्बन्ध में, सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री का आदेश पारित कर दिया है या समादेश (रिट) जारी कर दिया है या निर्देश दे दिया है और ऐसी डिक्री, आदेश, समावेश या निर्देश अंतिम हो गया है, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा।,

²⁸(ख) धारा-4 के अधीन किसी निर्देश पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश सिविल न्यायालय में दाखिल किया कोई वाद हो, किन्तु-

२७. यू.पी. एक्ट सं. १ १९७७ द्वारा जोड़ा गया।

^{28.} यू.पी. एक्ट सं. 13 1985 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 28.1.1985 से प्रभावी।

- (1) उक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा-काल के होते हुए भी, ऐसे निर्देश के लिए परिसीमा काल का एक वर्ष होगा।
- (2) पिरिसीमा-काल की संगणना करने में, उस दिनांक से जब लोक सेवक अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करता है या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को दिया गया विनिवेदन न हो) प्रस्तुत करता हे, प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक को जब ऐसे लोक सेवक को यथाशक्ति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर दिये गये अंतिम आदेश की जानकारी हो, समाप्त होने वाली अविध को सम्मिलित नहीं किया जायेगा,

परन्तु कोई निर्देश जिसके लिए परिसीमा अधिनियम 1963 द्वारा विहित परिसीमा काल एक वर्ष से अधिक हो, धारा 4 के अधीन निर्देश उस अधिनियम द्वारा विहित अविध के भीतर या उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ से ठीक एक वर्ष के भीतर, इसमें जो अविध पहले समाप्त होती हो, किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम 1985, द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस खण्ड की किसी बात का कोई प्रभाव किसी ऐसे निर्देश पर नहीं पड़ेगा जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किया गया और विचाराधीन हो।

- (2) अधिकरण प्रत्येक निर्देश को यथाशीघ्र विनिष्टिचत करेगा और साधरणतया प्रत्येक मामला दस्तावेजों और अभ्यावेदनों के परिशीलन और ²³(मीखिक या लिखित बहस) यदि कोई हों, के आधार पर विनिष्टिचत किया जायेगा।
- (3) अधिकरण साक्ष्य में, किसी मूल दस्तावेज के बदले, किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि ग्रहण कर सकता है।
- (4) अधिकरण साधारणतया मौखिक साक्ष्य पेश करने को न कहेगा और न अनुज्ञा देगा, और यदि आवश्यक हो, किसी पक्षकार से शपथ-पत्र दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है।
- (5) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित बातों के संबंध में वहीं शक्तियाँ होंगी जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 5, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं:-

^{29.} यू.पी. एक्ट 13 1985 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 28.1.1985 से प्रभावी।

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
- (ख) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय के किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना।
- (ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।
- विधिपूर्ण करार, समझौता या तृष्टि को अभिलिखित करना और तद्नुसार आदेश देना।
- (छ) अपने विनिश्चय का पुर्नविलोकन करना।
- (ज) व्यक्तिक्रम के लिए कोई निर्देश खारिज करना या उस पर एक-पक्षीय विनिश्चय देना।
- (झ) व्यक्तिक्रम के लिए खारिज किए गये किसी आदेश या अपने द्वारा दिये गये एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना।
- (अ) किसी निदेश पर अंतिम विनिश्चय होने तक, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझें, अन्तवर्ती आदेश देना।
- (ब) कोई अन्य विषय हो विहित किया जाये।
- ³⁸(5(क) अधिकरण किसी निर्देश से सम्बन्धित किसी कार्यवाही पर या कार्यवाही में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं दे जब तक कि–
 - (क) ऐसे निर्देश की ओर अन्तरिम आदेश के लिए आवेदन की प्रतिलिपियाँ, ऐसे अन्तरिम आदेश के लिए दलील के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ, उस पक्षकार को न दी जाये, जिसके विरुद्ध ऐसी याचिका प्रस्तुत की जाती है, और
 - (ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कम से कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये-
 - परन्तु अधिकरण खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमृक्त कर सकता है और यदि उसका समाधान हो जाता

है कि प्रार्थी के किसी हानि का, जिसकी क्षतिपूर्ति धन द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती है निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो कारण का अभिलेख करते हुए अपवाद स्वरूप अन्तरिम आदेश दे सकता है कोई ऐसा अन्तरित आदेश, यदि उसे पहले अभिशृन्य कर दिया जाय, चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायेगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के पूर्व प्रवर्तन को जारी न रखा हो।

- 5 (ख) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण किसी सेवक के निलम्बन, पदच्युत, हटाने, पदावनित, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्त या प्रत्यावर्तन के लिए सेवायोजक द्वारा दिये गये या दिये जाने के लिए तात्पर्यित आदेश के सम्बन्ध में अंतरिम आदेश (ब्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में प्रत्येक अंतरिम आदेश (ब्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने इस उपधारा के प्रारंभ के दिनांक के पूर्व दिया था और जो उस दिनांक को प्रवृत्त था, अभिशून्य हो जायेगा।}
- (6) अधिकरण द्वारा की गई घोषणा दावेदार और उसके सेवायोजक पर किसी ऐसे अन्य लोक सेवक पर बन्धनकारी होगी जिस दावा के सम्बन्ध में जिससे उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उसके विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया हो और उसका किसी विधि न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के समान प्रभाव होगा।
- ³¹{(7) किसी निर्देश को अंतिम रूप से निस्तारित करने वाले, अधिकरण के आदेश का निष्पादन उसी रीत से किया जायेगा जिस रीत से निर्देश से संगत, दावेकार के सेवायोजन के किसी मामले में, उसके द्वारा प्रस्तुत किसी अपील या अभ्यावेदन में, शिकायतों को दूर करने से संबंधित सुसंगत सेवा नियमों के अधीन ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम, राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, या अन्य व्यक्ति के ऐसे अंतिम आदेश का निष्पादन किया जाता।
- (8) (क) सेवायोजक अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कोई लोक सेवक या या विधि व्यवसायी नियुक्त कर सकता है जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहलायेगा।
 - (ख) लोक सेवक अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य लोक सेवक की सहायता ले सकता है,

^{31.} यू.पी. एक्ट सं. ७ १९९२ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक ३१.३.१९९३ से प्रभावी।

किन्तु इस प्रयोजनार्थ कोई विधि व्यसायी केवल उस दशा में रख सकेगा जब कि या जो-

- (1) सेवायोजक द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता कोई विधि व्यवसायी हो, या
- (2) अधिकरण मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अन्ज्ञा दे।
- (9) अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम) संख्या 45, 1860 (धारा 193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।)

किसी निर्देश पर या किसी निर्दे के उत्तर पर या किसी आवेदन – पत्र पर या तो नियुक्त प्राधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जहाँ नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल हो वहाँ राज्य सरकार द्वारा इस प्राधिकृत उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी की स्थिति में, उसके कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा यथास्थिति, हस्ताक्षर किया जा सकता है।

अवमान के लिए शास्ति की शक्ति

- ³²((5-क) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन उच्च न्यायालय की, उसके अधीनस्थ अवमान के लिए न्यायालयों के अवमान के संबंध में, अधिकारिता, शक्तियों शास्ति की शिक्त और प्राधिकर पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना अधिकरण को अपने अवमान के संबंध में वहीं अधिकारिता, शिक्तियाँ और प्राधिकार होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा जो कि उच्च न्यायालय को अपने अवमान के संबंध में है और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकता है, और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन लागू होंगे, अर्थात:-
 - (क) उसमें उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के प्रति निर्देश को क्रमशः अधिकरण, और उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रति निर्देश समझा जायेगा।
 - (ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देश को ऐसे विधि अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रति निर्देश समझा जायेगा,
 - (ग) उक्त अधिनियम की धारा 19 में-
 - (1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात:-

(एक) अवमान के लिए शास्ति देने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश या विनिश्चय

^{32.} यू.पी. एक्ट सं. ७ १९९२ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक ३१.३.१९९३ से प्रभावी।

के विरुद्ध उच्च नयायालय में साधिकार अपील होगी।

- (2) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नखित उपधारा रख दी जायेगी:-
- (दो) (4) उपधारा (1) के अधीन अपील उस आदेश के दिनांक से जिसके विरुद्ध अपील की जाये, साठ दिन के भीतर की जायेगी।

वाद पर रोक

(1)

- किसी व्यक्ति के, जिसके अन्तर्गत धारा-1 की उपधारा (4) के 21 (खण्ड(क) से (च) में विनिर्दिष्ट वर्गों के व्यक्ति भी हैं, अनुरोध पर जो लोक सेवक है या रह चुका है सेवायोजन से संबंधित किसी बात के संबंध में किसी अनुतोष के लिए कोई वाद या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संविधिक निगम या कम्पनी के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगा।
- (2) नियत दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समान अनुतोष के लिए सभी वाद, और ऐसे वादों से प्रोदभूत होने वाली सभी अपील, पुनरीक्षण, के लिए आवेदन-पत्र और अन्य अनुषंगी या सहायक कार्यवाहियाँ (जिसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम, संख्या 5, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन सभी कार्यवाहियाँ भी हैं और अिकंचन के रूप में समान अनुतोष के लिए वाद या अपील प्रस्तुत करने की अवज्ञा के लिए सभी आवेदन-पत्र और उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण उपशमित हो जायेंगे, और उनके अभिलेख अधिकरण को अन्तरिम कर दिये जायेंगे, और तद्पुरान्त अधिकरण उन मामलों पर उसे विनिश्चय देगा मानों वे धारा-4 के अधीन निर्विष्ट दावे हों।

परन्तु अधिकरण, धारा-5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रक्रम से कार्यवाही फिर से प्रारम्भ करेगा, जिस पर मामला उपयुक्त प्रकार से उपशमित किया गया था और न्यायालय में प्रस्तुत अभिवचन पेश किये किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर कार्यवाही करेगा मानो वह अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत या पेश किए गए थे।

(3) नियत दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे बातों के प्रोदभूत होने वाला विचाराधीन सभी अपीलों की सुनवाई और निस्तारण उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ववत् किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो

परन्तु यदि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम संहिता 5, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 23 या 25 के अधीन मामला प्रतिपेषित या प्रतिनिर्देशित करना आवश्यक समझे प्रतिप्रेषण या निर्देश का आदेश सम्बद्ध अधीनस्थ न्यायालय के बजाय [®][अधिकरण को] सम्बोधित होगा और तदुपरान्त अधिकरण उच्च न्यायालय के निर्देश के अधीन रहते हुए, मामला या

^{33.} यू.पी. एक्ट सं. ७ १९९२ द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक ३१.३.१९९३ से प्रभावी)

			विवाद पर उसी प्रकार विनिश्चय देगा मानो वह धारा–4 के अधीन उसे
			निर्दिष्ट कोई दावा हो।
नियम बनाने की शक्ति	7-	(1)	राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए
			अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
		³⁴ {(2)	विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे
		•	नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है,
			अर्थात्:-
			(क) अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया,
			(ख) न्यायपीठों का गठन और उनके बीच कार्य का वितरण,
			(ग) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में दी जाने वाली फीस और
			उसका भुगतान करने कर रीति
			(घ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य
			कर्मचारियों को देया वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें
			(ड) अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियाँ
			 कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध और
			राज्य सरकार उस निर्मित उपबन्ध बनाना आवश्यक या समाचीन
			समझे।
		(3)	उपधारा (२) के खण्ड (ग) अधीन नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत भूतलक्षी
			सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का
			नहीं हो , बनाने की शक्ति भी है , किन्तु कोई ऐसा भूतलक्षी प्रभाव किसी ऐसे नियम
			को नहीं दिया जायेगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिन पर ऐसे नियम प्रयोज्य
			हो हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
निरसन, अपवाद और	8-	(1)	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, १९७६ एतद् द्वारा निरसित किया
संक्रमणकालीन उपबन्ध			जाता है।
		(2)	ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा
			(अधिकरण) अध्यादेश, 1975 क निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के
			अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह
			अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।
		(3)	इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक में उल्लिखित
			आदेश और इस अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्रों
			के संबंध में, जो 1975 के उक्त अध्यादेश के तत्समान उपबंधों में उल्लेखित न थे,
			ਉਸਤ ਉਤਾਂਦਾ, ਦੇ ਸੂਊ ਉਤੰਗ ਦਾ ਆਂ 10 ਸਤਦੀ 1000 ਦੇ ਸੂਊ ਉਤੰਗ ਦਾ ਆਂ

१६ फरवरी, १९७६ के प्रति निर्देश से लगाया जायेगा।

नियत दिनांकः के प्रति निर्देश का अर्थ 16 फरवरी, 1976 के प्रति निर्देश का अर्थ

³⁵अनुसूची

(धारा ४-क (५) (क) देखिये)

मामले जिनकी सुनवाई और अन्तिम विनिश्ख्य, दो सदस्यों से गठित न्यायापीठ द्वारा किया जायेगा,

- 1. निम्नलिखित से संबंधित किसी आदेश के विरूद्ध दावे के समस्त निर्देश:-
 - (क) किसी लोक सेवक की पदोन्नित ज्येष्ठता, जन्मितिथि या अधिवर्षिता का दिनांकः
 - (ख) धारा २ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा में विनियमितीकरण,
 - (ग) किसी लोक सेवक की पदच्युति, हटाये जाने, प्रत्यावर्तन या पदावनित, वेतनवृद्धि या स्थायी रोक, सेवा में व्यवधान, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निलम्बन, सेवा समाप्ति या त्याग-पत्रः
 - (घ) किसी सेवानिवृत्त लोक सेवक की पेंशन का पूर्णतः या अंशतः रोका जाना या प्रत्याहरण करना, पेंशन में वस्ली और पेंशन के लिए अविध की गणना,
- 2. अवमानना के सभी मामले,
- उपर्युक्त मामलों से संबंधित आदेशों के विरुद्ध दावों के निर्देश का ग्रहण किया जाना,

The U.P. Public Services (Tribunal) Act, 1976

[U.P. ACT No. XVII OF 1976 AS AME ACT No.NDED BY U.P. ACT No. 1 OF 1977, U.P. ACT No. 13 OF 1980, U.P. ACT No. 2 OF 1982, U.P. ACT No. 13 OF 1985, U.P. ACT No. 6 OF 1987 AND U.P. ACT No. 1992²]

An Act to provide for the ³[Constitution of tribunal] to adjudicate in respect of matters relating to employment of all public servants of the State

It is hereby enacted in the Twenty -Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Prefatory Note- Statement of Objects and Reasons- (1) The number of cases in the courts pertaining to the employment matters of the Government Servants was constantly on the increase. This, besides increasing the work load in the courts, also delayed considerably the disposal of such cases. Such litigation also involved money and time of the Government Servants. In these circumstances it was decided to establish Public Service Tribunals to deal with cases pertaining to employment matters of Government Servants and also of the employees of the local authorities and Government corporations and companies, so that the employees may get quick and inexpensive justice. It was also decided that after the establishment of the Tribunals such suits be barred from being filed in the subordinate courts.

- (2) As the State Legislature was not in session and it was necessary to take immediate action for carrying out the above purpose, the Uttar Pradesh public Services (Tribunals) Ordinance, 1975 was promulgated on September 17, 1975 and the Tribunals were established on November 24, 1975.
- (3) In the mean time President's Rule was imposed in the State on November 30] 1975 and on account of the commencement of the session of the Parliament on January 5, 1976 the said Ordinance would have ceased to operate after February 16, 1976. it was, therefore considered necessary to repeal and replace the said Ordinance by a fresh Ordinance. The Uttar Pradesh public Services (Tribunals) Ordinance, 1976 was accordingly promulgated on February 16, 1976.
 - (4) This Bill is being introduced to replace the said Ordinance No. 8 of 1976.

Short title, extent, commencement and application

1-

- This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal)3
 Act. 1976.
 - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
 - (3) It shall be deemed tho have come into force on November 24, 1975.

¹⁻ Published under Noti. No. 1738/VII-B-1/156/76, dated May 1, 1976

²⁻ U.P. Act No. 7 of 1992 received the assent of the Governor on March 3, 1992 and it was enforced w.e.f. 31.3.93. vide Not. No. 808-K-3-93-24/21/87 dated 31.3.93.
3- Subs. by U.P. Act 7 of 1992. (w.e.f. 31.3.93)

- This section and sections 2 and 6 shall apply in relation to all public servants while the remaining provisions shall not apply to the following classes of public servants, namely -
 - A member of a judicial service;
 - ⁴[(b) An officer or servant of the High Court or of a court subordinate to the High Court;]
 - A member of the secretariate staff of any House of the State (c) Legislature;
 - (d) A member of the staff of the State Public Service Commission;
 - (e) A workman as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 (Act XIV of 1947), or the United Provisions Industrial Disputes Act, 1947 (U.P. Act XXVIII of 1947).
 - ⁵[(f) A member of the staff of the Lok Ayukta.]
 - The Chairman, Vice Chairman, Members officer or other (g) employees of the Tribunal.

Definitions

- "Appointed date" means the twenty-fourth day of November, 1975; (a)
- ⁶[(a-1) 'Bench' means a Bench of the Tribunal'
- (a-2) Chairman means the Chairman of the Tribunal;
- (a-2a) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court.
- 'District Judge' means the District Judge within the meaning of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887;
- ⁷(a-3a) 'Legal Representative' means a person, who in law represent the estate of the deceased person and includes a person in home the right to receive pensionary, retirement, terminal or other benefits waste.
- 'Member' means a Judicial or Administrative member of the Tribunal and includes its Chairman and Vice-Chairman;]
- ⁸f[(aa) "Presenting Officer" includes as Assistant Presenting Officer appointed by the State Government;]
- "Public Servant" means every person in the service or pay of-
 - (i) The State Government; or
 - A local authority not being a Cantonment Board; or (ii)
 - 10[(iii) Any other corporation owned or controlled by the State Government (including any company as defined in section 3 of the Companies Act. 1956 in which not less than fifty percent of paid up share capital is held by the State Government) but does not include -

In this Act -

⁴⁻ Subs. by U.P. Act No. 1 of 1977. 5- Ins. by U.P. Act. 13 of 1985 w.e.f. 28-1-1985.

⁶⁻ Clauses (a-1)to (-4) inserted by U.P. Act No. 7 of 1992 (w.e.f. 31.3.93) 7- *Ins.* by U.P. Act No. 12 of 2003. w.e.f. 17-12-2003

⁸⁻ Ins. by U.P. Act No. 1 of 1977. 9- Subs. by ibid. 10- Subs. by U.P. Act No. 13 of 1980 w.e.f. 1-6-1977

- (1) A person in the pay or service of any other company;
- (2) A member of the All India Services of other Central Services;]
- 11bb Service matter means a matter relating to the condition of service of a public servant.
- ¹²[(C) 'Tribunal' means the Tribunal constituted under Section 3;
- 13(d) 'Vice-Chairman' means the Vice-Chairman (Judicial) or Vice-Chairman (Administrative) of the Tribunal.]

Constitution of the Tribunal

¹⁴[3.

- As soon as may be after the commencement of the Uttar Pradesh (1) Public Services (Tribunals) (Amendment) Act., 1992, the State Government shall, by notification, established a Tribunal to be called the State Public Services Tribunal.
- The Tribunal shall consist of a Chairman, a Vice-Chairman (judicial), (2) A Vice-Chairman (Administrative) and such number of other Judicial and Administrative Members not less than five in each category, as many be determined by the State Government.
- (3) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless
 - (a) has been a Judge of a High Court, or
 - has, for at least two years held the post of Vice-Chairman, or (b)
 - (c) has been a member of the Indian Administrative Service who has held the post of a Secretary to the Government of India or any other post under the Central or the State Government equivalent thereto, and has adequate experience in dispensation of Justice.
- A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman (Judicial) unless he,
 - has held the post of District Judge of super time scale or any other post equivalent there to 'or
 - (b) has, for at least two years held the post of a Judicial Member.
- 16(4-a) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman, (Administrative) unless he, -
 - Has, held the post of an Administrative Member; or
 - has, held the post of secretary to the State Government or a (b) post equivalent to the post of Joint Secretary in the Govt. of India and has, in the opinion of the state Government, adequate experience in dispensations of Justice.
- A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, (5) unless he has held the post of District Judge, or any other post equivalent thereto.

¹¹⁻ Subs. by U.P. Act No. 5 of 2000. (w.e.f. 12-1-2000).

¹¹⁻³*uas*, by U.P. Act No. 7 of 1992, (w.e.f. 31.3.1993), 13- *Subs*, by U.P. Act No. 7 of 1992, (w.e.f. 31.3.1993), 13- *Subs*, by U.P. Act No. 5 of 2000, (w.e.f. 12-1-2000), 14- *Subs*, by U.P. Act No. 19 of 2009, (w.e.f. 20-8-2009),

¹⁶⁻ Subs. by U.P. Act No. 1 of 2015. (w.e.f. 13-2-2015).

- ¹⁷(6) An officer of the Indian Administrative Service or an officaer of the provincial Civil Service (executive branch) in the pay scale of rupees 18400-22400 or above shall be qualified for appointment as an Administrative member provided he has adequate experience in dispensation of Justice.
- (7) The Chairman, Vice-Chairman and every other member shall be appointed by the State Government after consultation with the Chief Justice for which proposal will be initiated by the State Government:

Provided that no person shall assume the office of Chairman, Vice-Chairman or other member, as the case may be, unless he has resigned or retired from, as the case may be, the Judgeship of the High Court, or the Indian Administrative Service or the Uttar Pradesh Higher Judicial Service or any other service in which he was serving except the service as Vice-Chairman or Member.

(8) The Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold the office as such for a term of five years from the date on which he enters upon his office about shall be eligible for re appointment for another term of 5 years;

[Provided that no Chairman, Vice-Chairman or other member shall held office as such after he has attained.

- (a) in the case of Chairman, the age of 70 years and
- (b) in the case of Vice-Chairman and any other member, the age of sixty five years.]
- ¹⁸[(8-a) The provision of sub section 8 as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act 2007 shall apply also to the Chairman h, The Vice Chairman & other Members holding office on n the commencement of the said Act.]
- 19(8-b) The provision of sub section 8 as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act 2013 shall apply also to the Chairman holding office on the commencement of the said Act.
- (9) The Chairman, Vice-Chairman or any other member may be notice in writing under his hand addressed to the Governor resign his office:

Provided that the Chairman, Vice-Chairman or other member shall, unless he is permitted by the Governor to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiration of three months from the date of receipt of notice or until a person duly appointed as his successor enters upon office or until the expiration of his term of office, whichever is the earliest.

- (10) The Chairman, Vice-Chairman or any other member shall not be removed from his office except by an order made by the Governor on the ground of proved misbehavior or incapacity after Such inquiry made the prescribed manner, in which such Chairman, Vice-Chairman or other member as the case may be, has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.
- (11) On ceasing to hold office, the Chairman, Vice-Chairman or other member shall be ineligible for further employment under the State Government, or any local or other authority under the control of the State Government, or any corporation or society owned or controlled by the State Government;

¹⁷⁻ Subs. by U.P. Act No. 4 of 2007. (w.e.f. 21.02.2007).

¹⁸⁻ Inserted. by U.P. Act No. 4 of 2007. (w.e.f. 21.02.2007).

¹⁹⁻ Inserted. by U.P. Act No. 15 of 2013. (w.e.f. 26.09.2013).

Provided that, subject to other provisions of this Act, a Vice-						
Chairman shall be eligible for appointment as Chairman and any other						
member shall be eligible for appointment as Vice-Chairman or						
Chairman.						

- On ceasing to hold office, the Chairman, Vice-Chairman or other (12)member shall not appear, act or plead before the Tribunal on behalf of any person.
- (13)The salaries and allowances payable to the Chairman, Vice-Chairman or other members and the other conditions of their service shall be such as may be determined by the State Government from time to
- (14)Where the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, or where any vacancy occurs in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or otherwise, the Vice-Chairman and where the Vice-Chairman is likewise unable to discharge his function or the office of the Vice-Chairman also is vacant, such other member as the State Government may by special or general order specify, shall discharge the functions of the Chairman until the Chairman resumes his duties or as the case may be, a Chairman appointed in accordance with the provisions of this Act assumes charge of his office.

Staff of Tribunal

²⁰[3-A (1)

This State Government shall determine the nature and categories of the officer and other employees required to assist the Tribunal in the discharge of its functions and provide the Tribunal with such officers and other employees as it may think fit.

- (2) The officers and other employees of the Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.
- (3) The salaries and allowances and conditions of service of the officer's and other employees of the Tribunal shall be such as may be prescribed.

Reference of Claim to Tribunal

(1)

4.

Subject to the other provisions of this Act, a person who is or has been a Public Servant and is aggrieved by an order pertaining to a service matter within the Jurisdiction of the Tribunal, may make a reference of claim to the Tribunal for the redressal of his grievance.

Explanation: For the purpose of this sub-section "order" means an order or omission or in action of the State Government of a local authority or any other corporation or company referred to in clause (b) of Section 2 or of an officer, committee or other body or agency to the State Government or such local authority or Corporation of company:

Provided that no reference shall, subject to the terms of any contract, be made in respect of a claim arising out of the transfer of a public servant;

²¹Provided further that in the case of the death of public servant, his legal representative and where there are two or more such representatives, all of them jointly, may make a reference to the Tribunal for payment of salary, allowances, gratuity, provident fund. pension and other pecuniary benefits relating to services due to such public servant.

Every reference under sub-section (1) shall be in such form and be (2) accompanied by such documents or other evidence and by such fee in

20- Ins. by U.P. Act No. 7 of 1992. (w.e.f. 31-3-1993)

21- Subs. by U.P. Act No. 12 of 2003. (w.e.f. 17-12-2003)

- respect of the filing of such reference and by such other fees for the services or execution of processes, as may be prescribed.
- (3) On receipt of a reference under sub-section (10, the Tribunal shall, if satisfied after such inquiry as it may deem necessary that the references is fit for adjudication or trial by it, admit such reference after recording its reasons.
- Where a reference has been admitted by the Tribunal under subsection (3), every proceeding under the relevant service rules or regulation or any contract pending immediately before such admission shall abate, and save as otherwise directed by the Tribunal, no appeal or representation in relation to such matter shall thereafter be entertained under such rules, regulation or contract.
- (5) The Tribunal shall not ordinarily admit a reference unless it is satisfied that the public servant has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, regulations or contract as to redressal of grievances.
- For the purpose of Sub-Section (5) a public servant shall be deemed to have availed of all the remedies available to him if a final order has been made by the State Government, an authority or officer thereof or other person competent to pass such order under such rules or regulations or contract rejecting any appeal preferred or representation made by such public servant in connection with the grievance:

²²Provided that where no final order is made by the State Government, authority officer or other person competent to pass such order with regard to the appeal preferred or representation made by such public servant within six months from the date on which such appeal was preferred or representation was made, the public servant may, by a written notice by registered post require such competent authority to pass the order and if the order is not passed within one month of the service of such notice, the public servant shall be deemed to have availed of all remedies available to him.

(7) For the purpose of sub-section (5) and (6) any remedy available to the public servant by way of submission of a memorial to the Governor or to any other functionary shall not be deemed to be one of the remedies, which are available unless the public servant had elected to submit such memorial.

NOTE

Applicability- "Workman" as defined in Section 2(s) of Industrial Disputes Act, 1947 not eligible to get relief under-Who is "person employed in any industry" under Section 2(s) of that Act-Word "industry" as defined in section 2(k) of U.P. industrial Disputes Act, 1947. Interpretation of-Helf, U.P. State Electricity Board is an "industry" and its employee working in non-managerial or non-supervisory capacity and drawing salary below Rs.500 pm. is "workman" and therefore not entitled to relief under-Labour and Industry Law. Girish Kumar Pandey v. U.P. State Electricity Board, 1976 II UPSC 77.

Tribunal's Jurisdiction under-Nature of disputes pertaining to a local authority which can be adjudicated by the Tribunal. Rmakant Shukla v. State of U.P., 1970 II UPSC 101.

- ²³[4-A. Hearing of references by the Tribunal-(1) The Chairman may from time to time constitute Benches consisting of a single member or two members, for the disposal of such references of claims and other matters as may be specified by him.
 - (2) It shall be lawful for the Chairman to nominate himself as a member of any Bench.
- 22. Subs. by U.P. Act. No. 5 of 2000 (w.e.f. 12-1-2000)
- 23 Subs. by U.P. Act No. 5 of 2000 (w.e.f 12-01-2000)

- A Bench consisting of two members shall include a Judicial Member and an Administrative Member.
 - ²⁴[Explanation: For the purpose of this sub-section the Chairman who has been a High Court Judge or a District Judge or a Vice-Chairman who has been a District Judge shall be deemed to be a Judicial Member and a Chairman or Vice-Chairman who has been the member of the Indian Administrative Service or an officer of the provincial civil service (executive branch) in the pay scale of rupees 18400-22400 or above shall be deemed to be an Administrative Member.
- (4) This jurisdiction, powers and authority of the Tribunal may be exercised by any such Bench in exercise of such jurisdiction, powers of authority shall be deemed to have been done by the Tribunal.
- (a) A reference of claim against an order pertaining to matter specified (5) in the schedule shall be heard and finally decided by a bench consisting of two members;

Provided that evidence may be received and proceeding there after may be conducted by a single member.

- A reference of claim other than that referred to in clause (a) may be heard and finally decided by a Bench consisting of a single member.
- The Chairman may, on his own initiative or on the application (c) of a party to a reference of claim transfer a case from one bench to another bench.
- Where the members of a Bench consisting of two members (6)are unable to agree, the matter shall be referred to another member nominated by the Chairman and the decision of such other member shall be final and operative.
- The Tribunal, its Bench and members shall, for transacting business under this Act sit at Lucknow or at such other places as the State Government may direct.

Powers and procedure 5. of the Tribunal

The Tribunal shall not bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908), or the rules of evidence contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Act 1 of 1872), but shall be guided by the principles of natural justice, and subject to the provisions of this section and of any rules made under section 7, the Tribunal shall have power to regulate its own procedure (including the fixing of places and time of its sitting and deciding whether to sit in public or

²⁵[Provided that where, in respect of the subject-matter of a reference, a competent court has already passed a decree or order or issued a writ or direction, and such decree, order, writ or direction has become final, the principle of res judicata shall apply;

The provisions of the Limitation Act, 1963 (Act 36 of 1963) shall mutatis mutandis apply to reference under Section 4 as if a reference were a suit filed in civil court so, however, that-

(1)

²⁴⁻ Subs. by U.P. Act No. 4 of 2007 25- Ins. by U.P. Act No. 1 of 1977

²⁶⁻ Subs. by U.P. Act No. 13 of 1985 (w.e.f. 28-1-1985)

- notwithstanding the period of limitation prescribed in the Schedule to the said Act, the period of limitation for such references shall be one year.
- (ii) in computing the period of limitation the period beginning with the date on which the public servant makes a representation or prefers an appeal, revision or any other petition (not being a memorial of the Governor), in accordance with the rules or order regulating his conditions of service, and ending with the date on which such public servant has knowledge of the final order passed on such representation, appeal, revision or petition, as the case may be, shall be executed:

Provided that any reference for which the period of limitation prescribed by the Limitation Act, 1963 is more than one year, a reference under Section 4 may be made within the period prescribed by the Act, or within one year next after the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) act, 1985 whichever period expires earlier:

Provided further that nothing in this clause as substituted by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 1985, shall effect any references made before and pending at the commencement of the said Act.]

- (2) The Tribunal shall decide every reference expeditiously and ordinarily, every case shall be decided by it on the basis of pursual of documents and representations, and of ²⁷[oral or written arguments], if any,
- (3) The Tribunal may admit in evidence, in lieu of any original document, a copy thereof attested by a gazetted officer or by a notary.
- (4) The Tribunal shall not ordinarily call for or allow to be adduced oral evidence, and may, if necessary, require any party to file an affidavit.
- (5) The Tribunal shall, for the purpose of holding any inquiry under this Act, have, subject to the provisions of sub-section (1), the same power as are vested in a Civil Court under the code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), while trying a suit, 'in respect of the following matters-
 - summoning an enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of documents;
 - © receiving evidence on affidavits;
 - (d) subject to the provisions of section 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (Act I of 1872), requisitioning any public-record or copy thereof from any office:
 - issuing commission for the examination of witnesses or documents;

- (f) recording a lawful agreement, compromise or satisfaction and making an order in accordance therewith:
- (g) reviewing its decision;
- (h) dismissing a references for default or deciding it ex
- setting aside an order of dismissal for default or an order passed by it ex parte;
- passing interlocutory orders pending final decision of any reference on such terms, if any, as it thinks fit to impose;
- (k) any other matter which may be prescribed.
- ²⁸[(5-A)No interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) shall be passed by the Tribunal on or in any proceedings relating to any reference unless-
- copies of such reference and application for interim order, along with all documents in support of the plea for such interim order are furnished to the party against whom such petition is filed, and
- (b) at least fourteen days, time is given to such party to file a reply and opportunity is given to it to be heard in the matter:

Provided that the Tribunal may dispense with the requirements (a) and (b) and may, for reasons to be recorded, make an interim order, as an exceptional measure, if it satisfied that it is necessary so to do for preventing any loss to the petitioner which can not be adequately compensated in money, but any such interim order shall, if it is not vacated earlier, cease to have effect on the expiry of the period of 14 days from the date on which it is made unless the said requirements have been compiled with before the expiry of the said period and the Tribunal has continued the operation of that order.

- (5-B) Notwithstanding anything in the foregoing subsections, the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an order made or purporting to be made by an employer for the suspension, dismissal, removal, reduction in rank, termination, compulsory retirement or reversion of a public servant, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner), in respect of such matters which was made by a Tribunal before the date of commencement of this sub-section and which if in force on that day, shall stand vacated.]
- (5-B) Notwithstanding anything in the foregoing subsections, the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an order made or purporting to be made by an employer for the suspension, dismissal, removal, reduction in rank, termination, compulsory retirement or reversion of a public servant, and every

interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner), in respect of such matters which was made by a Tribunal before the date of commencement of this sub-section and which if in force on that day, shall stand vacated.]

- (5-C) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections, the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry made by an employer against a public servant, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of adverse entry, which was made by a Tribunal before the commencement of the Uttar Pradesh Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2000 and which is in force on the date of such commencement shall stand vacated.
 - (6) A declaration made by the Tribunal shall be binding on the claimant and his employer as well as on any other public servant who has, in respect of any claim affecting his interest adversely, been given an opportunity of making a representation against it, and shall have the same effect as a declaration made by a court of law.
 - 29[7. The order of the Tribunal finally disposing of reference shall be executed in the same manner in which any final order of the State Government or other authority or officer or other person competent to pass such order under the relevant service rule as to redressal of grievances in any appeal preferred or representation made by the claimant in connection with any matter relating to his employment to which the reference relates would have been executed.]
 - (8) (a) The employer may appoint a public servant or a legal practitioner, to be known as the Presenting Officer, to present its case before the Tribunal.
 - (b) The public servant may take the assistance of any other public servant to present his case before the Tribunal on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless either (i) the Presenting Officer appointed by the employer is a legal practitioner, or (ii) the Tribunal, having regard to the circumstances of the case, so permits.
 - (9) Any proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860).
 - (10) A reference or a reply to a reference or an application may be singed either by the appointing authority or by the presenting officer or, where the appointing authority is the Governor, by an officer not below the rank of Deputy Secretary authorized by the State Government in this behalf, and in the case of a local authority, corporation or company by the Chief Executive Officer or Secretary thereof, as the case may be.

Power	to	punish
for cor	ite	mpt

³⁰[5-A. Power to punish for contempt- Without prejudice to the jurisdiction, powers and authority of the High Court under the contempt of Courts Act, 1971 in respect of contempt of Courts subordinate to it, the Tribunal shall have exercise, jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of itself as the high Court has, and may exercise, in respect of contempt of itself, and for this purpose the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 shall, mutatis mutandis, apply subject to the following modifications, namely-

- references therein to High Court, its Chief Justice and other Judges shall be construed as reference to the Tribunal its Chairman and other members respectively;
- (b) reference to Advocate-General in Section 15 of the said Act shall be construed as reference to such law officer as the State Government may by notification, specify in the behalf:
- (c) in Section 19 of the said Act,-
 - (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(1) An appeal shall lie as of right from any order or decision of the Tribunal in the exercise of its jurisdiction to punish for contempt to the High Court."
 - (ii) for sub-section (4) the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(4) An appeal under sub-section (1) shall be filed within sixty days from the date of the order appealed against."]

Bar of suits.

- (1) No suit shall lie against the State Government or any local authority or any statutory corporation or company for any relief in respect of any matter relating to employment at the instance of any person who is or has been a public servant, including a person specified in 21[clauses (a) to (f) of sub-section (4) of section 1.
- (2) All suits for the like relief, and all appeals, revisions, applications for review and other incidental or ancillary proceedings (including all proceedings under order XXXIX of the first schedule to the Code of Civil Procedure, 1908) (Act V of 1908), arising out of such suits, and all applications for permission to sue or appeal as pauper for the like relief, pending before any court subordinate to the High Court and all revisions (arising out of interlocutory orders) pending before the High Court on the date immediately preceding before shall abate, and their records shall be transferred [to the Tribunal]³¹ and there upon the Tribunal shall decide the cases in the same manner as if they were claims referred to it under Section 4:

Provided that the Tribunal shall, subject to the provisions of Section 5, recommence the proceedings from the stage at which the case abated as aforesaid and dead with any pleadings presented or any oral or documentary evidence produced in the Court as if the same where presented or produced before the Tribunal.

30. Ins. by U.P. Act No. 7 of 1992.

(3) All appeals pending before the High Court on the date immediately preceding the appointed date arising out of such suits shall continue to be heard and disposed of by that court as heretofore as if this Act had not come into force:

Provided that if the High Court considers it necessary to remand or refer back the case under Rule 23 of 25 of order 41 of the first Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), the Order of remand or reference shall be directed [to the Tribunal]³² instead of to the subordinate court concerned and the Tribunal shall thereupon decide the case or issue, subject to the directions of the High Court, in the same manner as if it were a claim referred to it under Section 4.

- 6-A Members and staff of the Tribunal to be public servant: The Chairman, Vice-Chairman, Members, Officers and other employees of the Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.
- 6-B **Protection of action taken in good faith:** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairman, Vice-Chairman, members or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Actor the rules made thereunder.
- 6-C Members to be Judges: The Chairman, Vice-Chairman and members shall be deemed to be the judges for the purpose of the Judges (Protection) Act, 1985 and the Judicial Officers Protection Act, 1850

NOTE

Section 6 of U.P. Public Services (Tribunal) Rules, 1975 (framed under Section 7) - Riile III - Applicability - A mzdoor (plaintiff) of U.P. State Road Transport Corporation filing a Civil suit against a departmental enquiry instituted y the corporation - Civil court on January 10, 1976 passing interim order restraining the corporation from dismissing the plaintiff from service till further orders and thereafter transferring the records of the case to the Tribunal under Section 6 for disposal - Held, suit was bad ab in it - in January 1976 civil court was bereft of its jurisdiction to entertain such a claim by virtue of the Act-Section 6(1) and Rule III contemplate transfer of civil suits pending on November 24, 1975 and of claims instituted thereafter - Court should have returned the plaint for presentation to Tribunal under Section 4 and should transfer it under Section 6 (2)- besides section 1 (4) makes it clear that Section 6 shall apply to all public servants including "workman" as defined in Industrial Disputes Act, 1947 (U.P. and Central) and the plaintiff is a "workman" under 1947 Acts - Suit held not maintainable. Babulal Gupta v. U.P. SRTC, 1976 IIU PSDC 72.

Power to make rules. 7.

- The State Government may by notification make rules for carrying out the purpose of this Act.
- 33[(2) In particular and without prejudice to the generality' of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the powers and procedure of the Tribunal;
 - (b) the constitution of and distribution of business among the Benches;

^{31.} Subs. by U.P. Act No. 13 of 1985 w.e.f. 28-11-1985

^{32.} Subs. by U.P. Act No. 7 of 1992.

- (c) the fees to be paid in respect of proceedings before the Tribunal and the manner of payment thereof;
- (d) the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman members, officers and other employees of the Tribunal;
- (e) the financial and administrative powers of the Chairman;
- (f) any other matter for which insufficient provisions exists in this Act and the State Government considers provision in that behalf necessary or expedient.
- (3) The power to make rules under clause (d) of sub-section (2) shall include the power to make such rules or any of them retrospectively from a date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 1992. But no such retrospective effect shall be given to any such rule so as to prejudicially affect shall be given to any such rule so as to prejudicially affect the interest of any person to whom such rules may be applicable.]

Repeal, savings and transitory provision.

- (1) The Uttar Pradesh Services (Tribunals) Ordinance 1976 (U.P. Ordinance No. 8 of 1976), is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Ordinance, 1975 by the Ordinance mentioned in sub-section (1) anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was in force at all material times.
- (3) In relation to orders mentioned in the provision to clause (b) of subsection (1) of Section 5 of this Act and applications referred to in subsection (2) of Section 6 of this Act which were not mentioned in the corresponding provisions of the said Ordinance of 1975 the references to the appointed date shall be construed as references to February 16, 1976.

NOTES

Savings and transitory provisions- (1) Where. on the date of the commencement of this Act, references by or against a servant of a court subordinate to the High Court is pending under the principal Act before a Tribunal. It shall continue to be heard and decided by the Tribunal in accordance with the provisions of this Act.

(2) Where before the commencement of this Act, any party to any proceeding before a Tribunal has filed an affidavit sworn before an officer appointed under clause (b) or clause (c) of Section 139 of the Code of Civil Procedure. 1908 such affidavit it shall be deemed to have been validly sworn and may be acted upon by the Tribunal as such. [Vide U.P. Act No. 1 of 1977. S.5]

³⁴[SCHEDULE]

Matters to be heard and finally decided by a Bench consisting of two members.

- All reference of claims against an order pertaining to,
 - a) promotion, seniority, date of birth or date of superannuation of a public servant; b) regularization in a service referred to in clause (b) of section 2:
 - dismissal, removal, reversion or reduction in rank, permanent stoppage of increment, break in service, compulsory retirement, suspension, termination or registration of a public servant;
 - d) withholding or withdrawing pension, wholly or partly recovery from pension and counting of period for pension, of a retired public servant.
- 2- All contempt matters.
- 3- Admission of references of claim against orders pertaining to the aforesaid matters.
- 33. Subs. by U.P. Act No. 7 of 1992
- 34. Schedule inserted by U.P.Act No. 5 of 2000.